पत्रांक–रा0व0द0(परी0)–07 / 12 2856 / प0व0

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी,

पटना, दिनांक– 10-9-12

विषयः– भारतीय वन (बिहार संशोधन), अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने हेतु मार्गदर्शन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि राज्यसात मामलों के निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब परिलक्षित हो रहा है। इस कारण से मामले से संबंधित व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी के साथ–साथ आर्थिक रूप से क्षति का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में जप्त वाहनों के पार्ट–पुर्जो की चोरी, क्षतिग्रस्त होने तथा अनुपयोगी हो जाने की संभावना भी बनी रहती है जिस कारण राष्ट्र–सम्पत्ति की क्षति का मामला बनता है। राज्य स्तर पर दिनांक–30.06.12 को प्राधिकृत पदाधिकारियों के न्यायालय में कुल 972 वाद लंबित थे जिनमें से 408 वाद 1 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे जबकि 325 वाद 6–12 माह की अवधि से लंबित थे। यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती।

2. इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अनेको पारित आदेशों में इस विषय पर भी अपनी टिप्पणियाँ अंकित किये जाते रहे हैं। सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 14704 / 2001 बली राम यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–5.02.2002 को पारित आदेश में निम्न रूप से टिप्पणी अंकित किया गया है:–

"True it is that the prescribed authority has jurisdiction to grant or reject the aplication for release of the vehicle but such an authority cannot sit tied over the matter without passing an order. In a case like present where the vehicle in question remains in caustody of the forest officer, the vehicle is not looked after by any person. Any damage to the vehicle is a loss to the owner of the vehicle. It is not expected of the prescribed authority or the forest officer that just to satisfy their fancy or whims, they would have the custody of the vehicle and not decide the matter in relation to the confiscation proceedings finally. It is of common knowledge that if a vehicle remains idle and is not used for long it starts deteriorating every day and one fine morning its value becomes nil and on completion of the proceedings if the owner is exempted then instead of his running vehicle he would be returned back some junk. The forest officer / prescribed authority would not be answerable for any thing because every action was taken

by them in good faith and in the interest of the State. The perils, the sins suffered by such an owner would be beyond imagination specially in a case where the purchases of the vehicle was made after taking a loan from a Bank. No conscious person can allow a running vehicle to become a junk and cause a national loss. If a tractor is used by its owner for agricultural purpose or for any other purposes then it would earn some livelihood for him, he would also be required to pay tax to state and repay the loan to the Bank. In any case keeping the vehicle idle is not going to serve any purpose. It is advisable that such matters are taken up immediately and either the proceedings are brought to their logical end within a short span of time or the vehicle is released on some conditions to be put by the said prescribed authority. In any case keeping the vehicle idle would not serve any good purpose either in favour of the owner or in favour of the department. The department should not forget that if ultimately the vehicle is to be confiscated it must have some value and not junk. After long time if the proceeding culminate into a direction for confiscation then the department must have vehicle which if is auctioned or sold in the market may fetch some value. Keeping the vehicle in idle condition is certainly not going to do any favour to the department also."

3. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9818/2002 इखतियार हुसैन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–03.02.2003 को आदेश पारित कर इसमें लिखा है कि:–

"Before parting with the case, I would like to observe that the forest department in a confiscation proceedings should not delay the disposal of the matter for years together. When the matter like present is allowed after two years or so the seized property virtually loses its marketability commercial value. By keeping the goods in their possession neither the department is benefited nor the person to whom the property belongs. If the Department wants to confiscate something then it must confiscate something which is of some value and worth confiscation. After two and half years if a truck or any vehicle is confiscated then by the time the value would go below the level and no useful purpose would be served by confiscating the vehicle. The articles which are confiscated in fact would also lose their value. In case like present when the petitioner is held entitled to return of the vehicle and the articles then the department must return something of value and not junk."

4. भारतीय वन (बिहार संशोधन), अधिनियम 1927 की धारा 52 ए के तहत दायर एक अपील मामले में बिलम्ब से आदेश पारित किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0 आर0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 598/96 में दिनांक–19.12.96 को आदेश पारित कर कहा है कि:–

" But so far quasi judicial functions, which are to be exercised by the collector/ District Magistrate of a district, are concerned, it is the collector who is required to find out time for them and hold court in every week on Tuesday and Friday, as fixed by them or on any other two dates, and he should sit for three hours at least on each of the aforesaid two dates in a week. If for any unavailable or compelling reason, on the dates fixed in cases the

District Magistrate is not able to held court, he would fix these cases to some other date in the same very week unless he is not able to discharge function because of his ailment or on the ground that he is on leave or because of holidays or for any other unavoidable grounds."

5. यह पाया गया है कि राज्यसात मामलों मे विलम्ब सामान्यतः निम्नांकित कारणों से है–

(i) अभियुक्त की ओर से सुनवाई के दिन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है।

(ii) अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य, गवाही एवं तथ्य रखने में विलम्ब किया जाता है।

(iii) अभियुक्त की ओर से जवाब तथा साक्ष्य समर्पित करने विलम्ब किया जाता है।

(iv) प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा राज्यसात मामलों में नियमित रूप से सुनवाई नहीं किया जाता है।

(v) सुनवाई की समाप्ति उपरान्त प्राधिकृत पदाधिकारी आदेश सुरक्षित रख लेते हैं तथा विलम्ब से आदेश पारित करते हैं।

(vi) 1.– धारा 52 का अक्षरशः पालन नहीं किया जाना यथा "सम्पति का अधिहरण" आदेश तब तक नही किया जायेगा जब तक की प्राधिकृत पदाधिकारी–

(a) जिस अपराध के लिए अधिग्रहण किया गया हो, उस अपराध का विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले दंडाधिकारी के पास सम्पति अधिहरण के लिए कार्रवाई चलाने के बारे में जानकारी न भेज दें।

(b) सम्पति के स्वामी/संबंधित मालिकाना रखने वाले व्यक्ति को लिखित सूचना न निर्गत कर दे और युक्ति संगत समय अभ्यावेदन हेतु न दे दें।

2.– प्रायः वन अपराध में प्रयुक्त संपत्ति उसके मालिक से भिन्न व्यक्ति से अधिगृहित की जाती है, जैसे ट्रक चालक से। अतः राज्यसात वाद प्रारम्भ करने के पूर्व उसके वास्तविक मालिक को अधिहरण प्रारम्भ करने की सूचना आवश्य देनी चाहिए।

3.– धारा 52 के अनुसार "प्राधिकृत पदाधिकारी" को यह संतोष होना आवश्यक है कि अधिहरण हेतु प्रस्तावित संपत्ति का उपयोग वन अपराध करने में हुआ है, तथा यह न्यायहित में भी है।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा जनहित एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर राज्यसात मामलों के अविलम्ब निष्पादन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शन निर्धारित किये जा रहे हैं:–

(I) प्राधिकृत पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, यथा संभव शनिवार को अपराह्न में निश्चित रूप से राज्यसात मामलों में सुनवाई करेगें। अगर किसी विशेष कारण से सुनवाई नहीं हो पाता है तब अगले सप्ताह में तिथि निर्धारित कर उक्त तिथि को सुनवाई किया जायेगा। वरीय पदाधिकारियों द्वारा इसे ध्यान में रखकर समान्यतः शनिवार के दिन किसी बैठक का आयोजन नहीं किया जायेगा।

(II) किसी अभियुक्त को दो बार नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि में उपस्थित होने का मौका दिया जायेगा। नोटिस के तामिला के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन किया जायेगा। अंतिम नोटिस में यह स्पष्ट किया जायेगा कि उन्हें अपनी बात रखने का अंतिम मौका दिया जा रहा है तथा अनुपस्थित रहने पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। इसके उपरान्त निर्णय लेकर आदेश पारित कर

दिया जायेगा। संक्षेप में दूसरे पक्ष को सुनवाई हेतु यथेष्ट मौका दिया जाना चाहिये परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि इसके कारण वाद अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहे।

(III) अभियुक्त द्वारा उपस्थिति दर्ज करने पर दो से तीन सुनवाई की तिथि में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य तथा गवाही प्रस्तुत हो जाना चाहिये तथा इसके उपरान्त इसका प्रयास करना चाहिये कि दो से तीन सुनवाई की तिथि में अभियुक्त अपना जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर दें तथा दोनों पक्षों की सुनवाई की प्रक्रिया का समापन हो सके।

(IV) इस प्रकार राज्यसात मामले में सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के उपरान्त दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी का आदेश पारित हो जाना चाहिये।

(v) आदेश अत्यन्त सावधानी से लिखा जाना चाहिए तथा वह वाद के प्रारम्भ से अंत तक की घटनाओं की विवरणी के रूप में स्पष्ट हों। संक्षेप में यह speaking order होना चाहिए जिसमें प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश का आधार स्पष्ट हो। साथ ही इसमें अभियोजन पक्ष का कथन तथा बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये बयानों का भी स्पष्ट उल्लेख हो।

(vi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना (राँची बैंच) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अधिहरण की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्तियों के प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होने के तीन माह के अन्दर अधिहरण की कार्यवाई समाप्त की जानी चाहिये। इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

7. संबंधित वन संरक्षक के द्वारा अपने अधीनस्थ वन प्रमंडलों से संबंधित राज्यसात मामलों की समीक्षा प्रत्येक माह किया जायेगा। अगर यह पाया जाता है कि किसी राज्यसात मामलें में चार माह के अन्दर आदेश पारित नहीं किया गया है तब उनके द्वारा सम्बंधित संचिका को देखकर किये गये विलम्ब के कारणों की जानकारी प्राप्त कर इसके तुरन्त निष्पादन हेतु निदेशण दिया जायेगा।

8. अनेक मामलों में यह देखा जाता है कि भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम की धारा 68 के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के बिना राज्यसात मामले में आदेश पारित किया जाता है। अगर धारा 68 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है तब इसके निष्पादन उपरांत राज्यसात मामले में आदेश पारित करना चाहिये।

9. प्रत्येक वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वर्षवार राज्यसात मामलों एवं धारा 68 के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन से संबंधित अद्यतन स्थिति के साथ नीचे दिये गये प्रपत्र में एक सूची तैयार कर प्रत्येक माह समीक्षा से पूर्व अपने संबंधित वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को भेजा जायेगा। वन संरक्षक द्वारा प्रत्येक समीक्षोपरान्त चार माह से अधिक लंबित मामलों में विलम्ब के कारणो को अंकित करते हुये तथा इस सम्बंध में किये गये कार्रवाई को अंकित करते हुये प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को भेजी जायेगी।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राज्यसात मामलों की सूची

वर्ष–

वन प्रमंडल का नाम–

| क्रम सं0 | जप्ती की तिथि | नोटिस जारी करने की तिथि तथा अद्यतन स्थिति | राज्यसात मामले के सम्बंध में न्यायालय को संसूचित किया गया अथवा नहीं | अभ्युक्त द्वारा जबाब समर्पित करने की तिथि | मामले में सुनवाई की स्थिति | पारित आदेश की स्थिति | अपील / रिविजन दायर करने की स्थिति | अगर धारा 68 के तहत आवेदन दिया गया हो तब उसकी स्थिति | मामले में क्रिमिनल वाद की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ज्ञापांक– 2856 प0व0, पटना–15 दिनांक– 10-9-12

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना / सभी वन संरक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/12

सरकार के सचिव